सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारीः अविचल चतुर्वेदी,
आई0ए0एस0
प्रार्थना पत्र सं0 153/2018

मूलचंद पुत्र जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम ढिगारिया तहसील लवाण जिला दौसा
...प्रार्थी

बनाम

1 गेंदाराम पुत्र रामधन जाति गुर्जर निवासी ग्राम ढिगारिया तहसील लवाण जिला दौसा
2 गजानन्द पुत्र चुन्नीराम
3 भगवान सहाय पुत्र चुन्नीराम
4 कजोड पुत्र चुन्नीराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम ढिगारिया तहसील लवाण जिला दौसा
5 राधाकिशन पुत्र लखाराम
6 विजय सिंह पुत्र देवकरण
7 सुखराम पुत्र देवकरण
8 राजाराम पुत्र देव करण जाति गुर्जर निवासी ग्राम लवाण जिला दौसा
9 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार लवाण जिला दौसा
10 डॉ0 गोवर्धन लाल शर्मा, आरएएस, उपखण्ड अधिकारी, दौसा जिला दौसा
..अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र स्थानांतरण

उपस्थितिः 1. श्री गेंदाराम अप्रार्थी सं0 01

निर्णय

दि0 12.02.2019

संक्षिप्त विवरण स्थानांतरण प्रा0 पत्र इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दौसा के यहां प्रकरण संख्या 25/18 उनवानी गेंदाराम बनाम मूलचंद प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य विचाराधीन है। प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की आशा न होने से यह स्थानांतरण प्रा0 पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया । प्रार्थी अनुपस्थित। अप्रार्थी सं0 एक गेंदाराम स्वयं उपस्थित।

अधिवक्तागण द्वारा कार्य स्थगित कर रखा है। प्रार्थी को बार–बार आवाज लगवाई गई किंतु प्रार्थी मूलचंद के उपस्थित नहीं होने से प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णय करना उचित समझते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण प्रा0 पत्र एवं पत्रावली में संलग्न उपखण्ड अधिकारी, दौसा की रिपोर्ट दिनांक 11.10.2018 का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट

होता है कि प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दौसा, के यहां उनवानी गोदाराम बनाम मूलचंद दावा अ0 धा0 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के अंतर्गत विचाराधीन है। जिसमें मुख्य रुप से नजदीकी तारीख पेशी दी जाना, अप्रार्थी सं0 एक को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बैठे व बातचीत करते देखे जाने से न्याय की कोई उम्मीद नहीं होना बताया जाकर प्रकरण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानांतरण करने की इस्तदुआ की गई है। जहॉ तक नजदीकी तारीख पेशी दिये जाने का प्रश्न है। प्रकरण की स्टेज को देखते हुए पीठासीन अधिकारी द्वारा नजदीकी तारीख पेशी का निर्धारण किया जाता है, जिससे प्रकरण का पूर्णतः विधिनुसार परीक्षण कर निर्णय पारित किया जा सकें। पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में कोई भी व्यक्ति अपने कार्य के लिए आ–जा सकता है। इसके लिए यह कहना कि अमुक व्यक्ति को आते–जाते देखा है, कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रा0 पत्र में बार–बार यही दोहराया जा रहा है कि पीठासीन अधिकारी से उनको न्याय की आशा नहीं है। ऐसा मात्र उनकी धारणा हो सकती है। मात्र धारणा रखने से कानूनी बिंदुओं को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। पीठासीन अधिकारी द्वारा नियमानुसार प्रकरण की सुनवाई किया जाना प्रकट होता है। पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में लगाये गये आरोप मनगढन्त होना बताया है तथा प्रकरण अन्यत्र स्थानांतरण करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होना अपने पत्र में अंकित किया है। पत्रावली व पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि मात्र प्रकरण को देरीना करने की गरज से यह प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रा0 पत्र स्थानांतरण के लिए कोई ठोस आधार नहीं है। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के पक्ष में ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य/सबूत पेश नही किये गये जिससे उनके कथन की पुष्टि नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी सबूत के कोई भी आरोप लगाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। पीठासीन पर लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं होते है। प्रा0 पत्र आधारहीन एवं बेबुनियाद तथ्यों पर पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रा0 पत्र स्थानान्तरण खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का स्थानान्तरण प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय प्रति भिजवाई जावें । बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 12 फरवरी, 2019 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official